न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 139/2024
दायर दिनांक :– 19.07.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/174
निर्णय दिनांक :– 02.01.2026

1. धापु पत्नी बरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीमंदरूपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. शांति पुत्री जगमालराम जाति विश्नोई निवासी श्रीमंदरूपनगर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. उषा पुत्री शैतानाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. जसोदा पत्नी शैतानाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. रमेशकुमार पुत्र शैतानाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. राकेशकुमार पुत्र शैतानाराम नाबालिग जरिये संरक्षक सरपस्त माता जसोदा पत्नि शैतानाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. मंगली पत्री छोटूराम जाति विश्नोई निवासी लोहारकी तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
6. पूनाराम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा कल्ला तह. घंटियाली जिला फलोदी
7. मालाराम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा कल्ला तह. घंटियाली जिला फलोदी
8. किशनाराम पुत्र पाबूराम जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा कल्ला तह. घंटियाली जिला फलोदी
9. श्यामलाल पुत्र पाबूराम जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा कल्ला तह. घंटियाली जिला फलोदी
10. श्रवणकुमार पुत्र पाबूराम जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा कल्ला तह. घंटियाली जिला फलोदी
11. सुखदेव पुत्र पाबूराम जाति विश्नोई निवासी चैनपुरा कल्ला तह. घंटियाली जिला फलोदी
12. अर्जुनराम पुत्र बरसींगा जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
13. किसनारमा पुत्र बरसींगा जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. भंवरीदेवी पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
15. भारमलराम पुत्र छोटूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
16. मनोहर पुत्र बाबुराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
17. रूगनाथराम पुत्र छोटूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
18. श्रवणकुमार पुत्र तिलोकाराम नाबालिग जरिये संरक्षक वली माता गीता बेवा तिलोकाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
19. शिशपाल पुत्र भजनाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
20. सुगनाराम पुत्र छोटूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
21. सुजानाराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
22. सुवटी पत्नी बाबुराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
23. सोहनराम पुत्र छोटूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
24. हेतराम पुत्र बरसींगा जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
25. हरलाल पुत्र बरसींगा जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
26. बालीदेवी पत्नी बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर तहसील बाप जिला फलोदी
27. सूरज बिश्नोई पत्नी भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
28. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1051/3 रकबा 3.8202 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1051/6 रकबा 3.8202 हैक्टेयर ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 16.04.2021 को जारी आदेश कम संख्या 104 की पालना में दिनांक 11.05.2022 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 11.05.2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 27 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 11.05.2022 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 28 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 28 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1051/1 रकबा 3.8202 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1051/6 रकबा 3.8202 हैक्टेयर भूमि की पुनः पैमाईश करवाई जाकर उसी अनुसार ही प्रार्थीगण की हद में प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 27 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1051/1 रकबा 3.8202 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1051/6 रकबा 3.8202 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 28.04.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के तथा विकल्प में प्रार्थीगण की भूमि की पुनः पैमाईश की जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1051/1 रकबा 3.8202 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1051/6 रकबा 3.8202 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की पुनः पैमाईश करवार की गई पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1051/1 रकबा 3.8202 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1051/6 रकबा 3.8202 हैक्टेयर भूमि की पुनः पैमाईश की जाकर पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya..

(सत्य नारायण—I, R.A.S.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)